

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०न० 01/2019

तारीख रजू:- 17.1.2019

1 रामनाथ पुत्र घूडिया जाति मीना निवासी बालाहेत(दयाराम का पुरा) तहसील सपोटरा जिला

करौली

:- अपीलान्ट

## बनाम

1 राजस्थान सरकार तहसीलदार सपोटरा जिला करौली

-रेस्पोंडेन्ट

अपील व खिलाफ आदेश दिनांक 11.9.2018 तहसीलदार सपोटरा मुकदमा नम्बर 242/2018 उनवानी सरकार बनाम रामनाथ अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 25.03.2019

वाक्यात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से अपील तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 11.9.2019 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि खसरा नम्बर 700 करवा 1 वीधा 10 विस्वा चरागाह पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसीलदार सपोटरा ने बिना कोई नोटिस व सुनवाई के एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये जो निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की स्वयं की तामिल नहीं होने पर न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करने में अस्मर्थ रहा हूँ निर्णय की नकल नियमानुसार प्राप्त कर श्रीमान की सेवा में अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।


वकील अपीलान्ट की वहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन अपील मीमो को दोहराते हुये और कहा कि मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नहीं सुना है ना ही पटवारी हल्का से जिरह कराई गई है भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। जिसका शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दूंगा। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की वहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का जीरौता ने सम्बत 2075 खरीफ में ग्राम दयारामपुरा के आराजी खसरा नम्बर 700 करवा 1 वीधा 10 विस्वा चरागाह में जौत लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार के गद्दा पर पेश की गई थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने

अतिरिक्त अन्य पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज शामिल नही किये गये है राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के प्राधानो के तहत सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। किन्तु यहा पर पश्चावर्ती के सम्बन्ध मे कोई पिछले वर्षो की अतिक्रमण बेदखली दस्तावेज नही है। साथ ही भूमि पर कब्जा नही होना दोराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय मे भूमि पर कब्जा नही होने बाबत अडर ट्रेकिंग पेश करने का भी निवेदन किया गया है। इस प्रकार से यह अतिक्रमण अधीनस्थ की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथमबार का ही अतिक्रमण साबित हो रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 11.9.2018 के तहत अपीलान्ट को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
अति० जिला कलक्टर  
करौली